

बनाम

सन

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्रावली पेश हुई वकील साणी वल्लभ
का नोटिस तामीन करवाने हेतु वार-वार
अवसर किमि पाने के उपरान्त भी नोटिस
तामीन नहीं करवाने पर पत्रावली आफिस
नियम-5 C.P.C के तहत खारीज की जाती है।
पत्रावली केसाम नुमार होकर नम्बर से
कम की जाकर कारकीम बफतर है।

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला बुन्दुनू (राज.)

